

प्रेषक,
के0 सेंथिल कुमार
सरकार के अपर सचिव
श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में
महालेखाकार, बिहार,
(ले0 एवं ह0)
वीरचन्द्र पटेल पथ पटना।

पटना-01, दिनांक-

विषय:-केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम National career Service -CASP के तहत अवर प्रादेशिक नियोजनालय, भागलपुर में "मॉडल कैरियर सेन्टर के शेष बचे कार्यों हेतु ₹9,71,336 (रुपये नौ लाख इकहत्तर हजार तीन सौ छत्तीस) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

आदेश:-स्वीकृत।

महाशय,

केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अवर प्रादेशिक नियोजनालय, भागलपुर में स्थापित "मॉडल कैरियर सेन्टर" के शेष बचे कार्यों हेतु ₹9,71,336 (रुपये नौ लाख इकहत्तर हजार तीन सौ छत्तीस) मात्र के व्यय पर वित्त विभाग के पत्रांक-ब-15/बी0एस0जी0-19/2017-428/वि0 दिनांक-31.03.2017 के प्रदत्त शक्ति के अन्तर्गत व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार सृजन एवं रोजगार क्षमता में वृद्धि तथा उनमें उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा career counseling आजीविका परामर्श और व्यावसायिक प्रशिक्षण का मार्ग चुना गया है। इसके लिए रोजगार कार्यालयों को आजीविका केन्द्रों का रूप एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण को नया स्वरूप दिया जाना है जिससे उद्योगों की जरूरतों के अनुसार बेरोजगार युवक-युवतियों का कौशल निर्माण किया जा सके। इस योजना के माध्यम से कॉउंसलिंग केन्द्रों और प्रशिक्षण संस्थानों के तालमेल भी उद्योग जगत से बढ़ाये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं ताकि उनमें परस्पर सार्थक और फलदायक संबंध स्थापित हो सके। सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय रोजगार नीति विकसित किया जा सके। राष्ट्रीय आजीविका सेवा (National career Service) के सहयोग के लिए एक आधुनिक तकनीक आधारित ढांचे की संकल्पना की जा रही है, जो रोजगार एक्सचेंज का स्थान ले सके। उक्त क्रम में ही अवर प्रादेशिक नियोजनालय, भागलपुर में आदर्श आजीविका केन्द्र (मॉडल कैरियर सेन्टर) की स्थापना की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा दी गयी है।

मॉडल कैरियर सेन्टर के स्थापना से शिक्षित बेरोजगार युवक/युवतियों को विशेषज्ञ मार्गदर्शकों एवं युवा पेशेवरों (Young Professionals) से कैरियर निर्माण, व्यवसायिक मार्गदर्शन एवं रोजगार से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी आधुनिक तकनीक के माध्यम से महानिदेशालय, रोजगार सेवाएँ भारत सरकार नई दिल्ली से प्राप्त निदेशों के आलोक में प्रदान किया जाना है।

इस योजना हेतु व्यय किये जाने वाली राशि की विवरणी निम्न प्रकार है:-

| क्रम सं० | कार्यालय का नाम | विषय शीर्ष | राशि | अभ्युक्ति |
|----------|----------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------------------|
| 1. | अवर प्रादेशिक नियोजनालय, भागलपुर | 0214.21.01 सामग्री एवं पूर्तियां | ₹971336.00 | शेष बचे कार्यों के पूर्ण हेतु |
| कुल राशि | | | ₹9,71,336.00 | |

इस राशि से मॉडल कैरियर सेन्टर के शेष बचे कार्यों को पूर्ण करने एवं कार्यालय के रख-रखाव पर भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश के आलोक में ही व्यय किया जायेगा।

3. इस स्कीमके अन्तर्गत व्यय मुख्य शीर्ष- "2230-श्रम तथा रोजगार उपमुख्य शीर्ष-02-रोजगार सेवाएँ, समूह शीर्ष-राज्य योजना, लघु शीर्ष-101-रोजगार सेवाएँ-मॉग संख्या-26, उप शीर्ष-0214-नेशनल कैरियर सर्विस, पी0एफ0एम0एस0 कोड-2026, विपत्र कोड-26-2230021010214 के विषय शीर्ष "0214.21.01-सामग्री एवं पूर्तियां" मद में उपबंधित राशि से चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए विकलनीय होगा।

4. इस स्कीमके नियंत्रि पदाधिकारी निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना होंगे।

5. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नियोजन पदाधिकारी, अवर प्रादेशिक नियोजनालय, भागलपुर होंगे।

6. इस राशि की निकासी वित्त विभाग के संकल्प संख्या-2561 दिनांक-17.04.98, वित्त विभाग के पत्रांक-3002/वि0, दिनांक-26.04.2017 एवं वित्तीय नियमावली-2005 एवं समय-समय पर निर्गत आदेश/ निदेशों के अनुरूप की जायेगी।

7. प्रस्ताव में प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन पृ0-18/टि0 पर प्राप्त है।

8. प्रस्ताव एवं राज्यादेश प्रारूप में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति पृ0-18/टि0 पर प्राप्त है।

विश्वासभाजन
ह0/-

(के0 सेंथिल कुमार)
सरकार के अपर सचिव
श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना।

(कृ०पृ०उ०)

ज्ञाप संख्या:-2/यो0-5010/2017-

पटना-01, दिनांक-

प्रतिलिपि:-कोषागार पदाधिकारी, भागलपुर/उप निदेशक (नियोजन) भागलपुर प्रमण्डल, भागलपुर/ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी-सह-सहायक निदेशक (नियोजन), अवर प्रादेशिक नियोजनालय, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित ।


ह0/-

सरकार के अपर सचिव
श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञाप संख्या:-2/यो0-5010/2017-903

पटना-01, दिनांक- 06.09.17

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री श्रम संसाधन विभाग बिहार,पटना के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग के प्रधान आप्त सचिव/वित्त विभाग (बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/सहायक निदेशक, रोजगार कार्यालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, महानिदेशालय, रोजगार एवं प्रशिक्षण 3/10 जाम नगर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली/ आई0टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित ।



सरकार के अपर सचिव
श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना।

U.K